प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI – 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

Dated: 30.01.2026

सार्वजनिक सूचना संख्या - 70/2026

विषय: बजट 2026–27 के माध्यम से किए गए परिवर्तनों का प्रणाली में अद्यतन।

आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकर तथा अन्य सभी संबंधित हितधारकों का ध्यान वित्तमंत्रालय (राजस्वविभाग) के अधीन महानिदेशालय प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन द्वारा जारी परामर्श संख्या- 05/2026 दिनांक 30.01.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. संघ बजट 2026-27 दिनांक 01.02.2026 को संसद में प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है। इसके परिणामस्वरूप, बजट 2026-27 की प्रस्तुति के उपरांत, अधिसूचनाओं एवं शुल्क निर्देशिकाओं (Tariff Directories) के अद्यतन (updation) का कार्य, महानिदेशालय प्रणाली, नई दिल्ली के पर्यवेक्षण में, डायरेक्टरी प्रबंधन स्थलों से नामित बजट अधिकारियों द्वारा आईसीईएस (ICES) में संपादित किया जाएगा।

3. दिनांक 01.02.2026 को बजट प्रस्तुति के परिणामस्वरूप, 01.02.2026 को 11:00 बजे के पश्चात से आईसीईएस (ICES) में सभी परिवर्तनों के अद्यतन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक बिल ऑफ एंट्री (BE) दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। धारा 48 के अंतर्गत अनुमोदन भी 01.02.2026 को 11:00 बजे के पश्चात स्थगित कर दिए जाएंगे। बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की सुविधा को छोड़कर, आईसीईगेट (ICEGATE) की अन्य सभी सेवाएँ यथावत जारी रहेंगी। साथ ही, आईसीईएस में अन्य कार्यों के लिए प्रणाली अधिकारियों हेतु उपलब्ध रहेगी।

4. 01 फरवरी 2026 को 11:00 बजे से पूर्व दाखिल किए गए बिल ऑफ एंट्री (BE) का प्रसंस्करण यथावत जारी रहेगा, तथापि क्षेत्रीय संरचनाओं (Field Formations) को यह सुनिश्चित करना होगा कि 01.02.2026 या उससे पूर्व दाखिल किए गए पूर्ववर्ती बिल ऑफ एंट्री (Prior BEs) के संबंध में 'आउट ऑफ चार्ज' (OOC) प्रदान करने से पूर्व शुल्क देयता (Duty Liability) में किसी भी परिवर्तन का समुचित अनुश्रवण/सत्यापन किया जाए।

5. बजट संबंधी परिवर्तनों के अनुसार आईसीईएस (ICES) में आवश्यक अद्यतन किए जाने के उपरांत ही दस्तावेजों (BE) के दाखिले एवं प्रसंस्करण हेतु प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्यतः, यदि बजट में कोई महत्वपूर्ण नए उपकर/लेवी अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, तो यह कार्य डायरेक्टरी प्रबंधन स्थलों तथा एनआईसी (NIC) के सहयोग से 48 घंटों के भीतर संपादित किया जाता है।

6. आयातकों / सीमा शुल्क अभिकर्ताओं तथा व्यापार समुदाय के सदस्यों को उपर्युक्त निर्दिष्ट समय-सीमाओं के दृष्टिगत अपने बिल ऑफ एंट्री (BE) के क्लीयरेंस का कार्यक्रम निर्धारित करने की सलाह दी जाती है।

7. यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क, तकनीकी (आयात), एसीसी, मुंबई के संज्ञान में ईमेल (pro.acc-sahar@gov.in) के माध्यम से लाया जा सकता है। सहायता, स्पष्टीकरण एवं जानकारी हेतु संबंधित आयातक हमारे हेल्प डेस्क, टीएसके (तुरंत सुविधा केंद्र) से ईमेल (tsk.accmumbaizone3@gov.in) अथवा दूरभाष संख्या 022-26816696 पर संपर्क कर सकते हैं।

मनीष चन्द्रा

(मनीष चन्द्रा)
प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (आयात),
हवाई माल परिसर, मुंबई।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई सीमा शुल्क ज़ोन -III, मुंबई.
2. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
3. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), हवाई माल परिसर, मुंबई
4. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
5. सभी उपायुक्त/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), हवाई माल परिसर, मुंबई
6. व्यापार संघ
7. CB संघ (BCBA)
8. MIAL/एयर इंडिया
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अद्यतन के लिए)
10. कार्यालय प्रतिलिपि